International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत में महिला शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

डॉ0 फ़ैज़ान अहमद
एसोसिएट प्रोफ़ेसर (राज0वि0)
एवं कार्यवाहक प्राचार्य
जी0बी0पन्त (पी0जी0) कालेज
कछला (बदायूँ)

सारांश

मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले प्रमुख तत्वों में शिक्षा प्रथम है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में कौशल एवं क्षमताएं विकसित होती हैं जिससे वह एक सभ्य समाज व देश का अच्छा सदस्य बनने योग्य होता है। महिला शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण है। भारत में महिला शिक्षा को प्रारम्भिक वर्षों में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति ख़राब होने लगी। पर्दा–प्रथा, सती प्रथा तथा देवदासी प्रथा आदि के कारण महिलाएं केवल पति की दासी और उपयोग करने की वस्तु बनकर रह गयी थीं। लेकिन ब्रिटिश काल में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए अलग से विद्यालय खोले गए। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गाँधी आदि समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा के महत्व पर ज़ोर डाला। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा की दशा में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। वास्तव में शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हमारा राष्ट्र भी तभी सच्चे अर्थों में सशक्त होगा।

किसी भी समाज तथा राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसके नागरिकों के गुणों तथा कौशल पर निर्भर करती है। शिक्षा ही वह साधन है जिससे व्यक्ति में कौशल एवं क्षमताएं विकसित होती हैं तथा वह समाज और देश का अच्छा सदस्य बनने योग्य होता है। समाज की एक छोटी इकाई परिवार है जिसके अन्तर्गत बालक के गुणों का विकास मुख्यतः उसकी माता द्वारा किया जाता है। इसी कारण परिवार को 'बालक की प्रथम पाठशाला' एवं उसकी माता को 'बालक की प्रथम शिक्षिका' कहा जाता है। महिला शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण है। महिलाओं का शैक्षणिक उत्थान सामाजिक विकास को जन्म देता है जो देश की उन्नति तथा विकास के लिए आवश्यक है। महिला शिक्षा के महत्व को देश की प्रगति में महत्वपूर्ण मानते हुए फ्रांस के प्रसिद्ध शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि ''तुम मुझे श्रेष्ठ माताएं दो, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक दूँगा।''[1]

मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले प्रमुख तत्वों में शिक्षा प्रथम है। शिक्षा ही किसी राष्ट्र को विकास पथ पर पूरी तन्मयता व दृढ़ता से अग्रसर रखने में मदद करती है। यह राष्ट्र को ऐसी दिशा देती है

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जो सदैव उत्कर्ष की ओर अग्रसित होता है। शिक्षा राष्ट्रीय चिन्तन के प्रति नवयुवकों को समर्पित होकर राष्ट्र विकास में अपने योगदान को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव जाति के अर्जित गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होते रहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया सम्भवतः उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं मानव जीवन। शिक्षा देने और ग्रहण करने का कार्य आदिकाल से ही किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। यह शिक्षा की ही विशेषता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी के रूप में अन्य समस्त प्राणियों से विशिष्ट और सर्वोत्कृष्ट है। भारत में महिला शिक्षा समाज का एक ऐसा पक्ष रहा है जिसे प्रारम्भिक वर्षों में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। घाना के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री डॉ0 जेम्स एम्मन ने महिला शिक्षा के महत्व के विषय में कहा है कि ''यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। किन्तु यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार और राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।''[2]

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास– भारत में महिला शिक्षा के इतिहास को निम्नलिखित कालखण्डों में विभाजित किया जा सकता है–

1. सिन्धु घाटी सभ्यता में महिला शिक्षा– भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता 'सिन्धु घाटी की सभ्यता' को समझा जाता है। इस सभ्यता की पूरी अवधि 500 वर्ष (3250ई0पू0 से 2750ई0पू0) निर्धारित की गयी हे। उस समय का कोई साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मूक प्रमाण बताते हैं कि आर्यों के पूर्व के सिन्धु घाटी सभ्यता के समाज में महिलाएं विशेष सम्मान पाती थीं। कहा जाता है कि कोई भी समाज जितना सुसभ्य व सुसंस्कृत होगा, महिलाओं की स्थिति वहाँ पर उतनी ही श्रेष्ठ होगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह पता चलता है कि सिन्धु सभ्यता का समाज बेहद सुसभ्य और सुसंस्कृत था। इसलिए हम कह सकते हैं कि तब महिलाएं भी समाज में सम्मानजनक स्थान पर रही होंगी। खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी खड़ी एवं अर्द्ध–नग्न नारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ सम्भवतः मातृदेवी या प्रकृति देवी की हैं। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप है। इसी प्रकार की और भी मूर्तियाँ मिली हैं जो महिलाओं की श्रेष्ठ स्थिति को उजागर करती हैं। समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिन्धु समाज मातृ–सत्तात्मक था और राज्य तथा सम्पत्ति का उत्तराधिकार कन्याओं को मिलता था।

2. वैदिक काल और महिला शिक्षा– वैदिक काल 1500ई0पू0 से 500ई0पू0 तक माना जाता है। सिन्धु सभ्यता के विलोप के बाद 1500ई0पू0 के आसपास भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इसी दौरान ऋग्वेद की रचना हुई और फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी लिखे गए। इन वेदों से तत्कालीन जीवन–पद्धति सम्बन्धी तथ्य प्राप्त होते हैं। वेद, ब्रह्मानस, सूत्र, उपनिषद्, अरण्यकस और

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पुराणों के अध्ययन के आधार पर इतिहासकारों ने वैदिक काल को, महिलाओं की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में 'स्वर्णयुग' कहा है। इस काल में महिलाओं की समाज में अत्यन्त उन्नत स्थिति थी। हलांकि उस समय पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी पुत्र और पुत्रियों को समान अवसर तथा समान सुविधाएं दी जाती थीं। शिक्षा के मामले में भी दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। विश्व प्रकाश गुप्त एवं मोहिनी गुप्त ने लिखा है कि ''उपनयन संस्कार के बाद कन्याएं भी वेदों का अध्ययन कर सकती थीं। उन्हें यज्ञ करने की भी अनुमति थी। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं स्त्रियों की रची हुई हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक वाद–विवादों में भाग लेती थी।''[3]

वैदिक काल में महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी होता था जो जीवन भर पठन–पाठन में लगा रहता था। इन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहा जाता था। अपाला, घोषा, विश्ववरा, गार्गी, मैत्रेयी आदि उस समय की विदुषी दार्शनिक थीं। उस दौर में धार्मिक सम्मेलनों, समागमों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में भी महिलाएँ बढ़–चढ़कर हिस्सा लेती थीं और कोई भी धार्मिक संस्कार, यज्ञ आदि बिना महिलाओं की उपस्थिति के सम्पन्न नहीं होता था।

3. 500ई0पू0 से 600ई0 तक महिला शिक्षा की दशा– ई0पू0 पाँचवीं शताब्दी के बाद से समाज में महिलाओं की स्थति ख़राब होने लगी। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा ने लिखा है कि ''पुत्री के जन्म पर पिता को बहुत चिन्ता होती है कि मैं इसका विवाह किस योग्य वर के साथ करूँ। विवाह करने पर भी उसकी चिन्ता समाप्त नहीं होती। वह यह जानने को उत्सुक रहता है कि उसकी पुत्री विवाहित अवस्था में सुखी रहेगी या नहीं।''[4] मनु का काल (250ई0पू0 से 200 ई0पू0 तक) संक्रान्ति का काल था। मनु ने महिलाओं के बारे में अच्छे विचार व्यक्त नहीं किए हैं। उनके अनुसार ''स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, यौवनावस्था में पति के अधीन और पति के मरने पर वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। स्त्री को अपने पति की निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। पति यदि शील रहित, कामी तथा विद्या आदि गुणों से हीन हो, तब भी स्त्री को उसकी देवता के समान पूजा करनी चाहिए। जो स्त्रियाँ अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं वे लक्ष्मी स्वरूप होती हैं।''[5]

लगभग इसी समय कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र'की रचनाकी। इसी समय हिन्दू समाज में 'संस्कार–व्यवस्था' अस्तित्व में आई जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। तब महिलाओं को विवाह के अतिरिक्त अन्य किसी भी धार्मिक संस्कार में वेद–मन्त्रों का उच्चारण करने की मनाही थी। इस काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार भी नहीं होता था। इसलिए न तो वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और न ही वेदों का अध्ययन कर सकती थीं। 'अर्थशास्त्र' और 'मनुस्मृति' में कहीं भी महिला शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। रामायण काल, महाभारत काल और गौतमबुद्ध के काल में भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन 'कामसूत्र' से स्पष्ट

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

होता है कि ''धनी परिवारों की कन्याओं को संगीत, नृत्य, चित्रकला, माला बनाने, खिलौने बनाने, घर की सजावट करने आदि की शिक्षा दी जाती थी।''[6]

4. 600 ई0 से 1200 ई0 तक महिला शिक्षा की दशा– यह समय भारतीय इतिहास में अस्थिरता का समय था। हर्षवर्धन (606 ई0–647ई0) भारत का अन्तिम महान् हिन्दू सम्राट था। उसकी मृत्यु के पश्चात् भारत में अनेक छोटे–छोटे राज्य स्थापित हुए। छठी सदी के बाद समाज में महिलाओं की स्थिति पतन की ओर जाने लगी थी। 'कथासरित्सागर' के अनुसार ''पुत्र, सुख का प्रतीक था और पुत्री दुःख का मूल। इस काल में धनी परिवारों की कन्याओं को ही उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी। मंडन मिश्र की पत्नी अपने पाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध थी। शील भट्टारिका और देवी जैसी कवयित्रियाँ अपनी मनोरम काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध थीं।''[7] इस काल में बाल–विवाह की प्रथा आरम्भ हो गई थी। इस काल में कुछ स्त्रियों के सती होने के उदाहरण भी मिलते हैं। नवीं शताब्दी की रचना अग्निपुराण में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति के शव के साथ अग्नि में प्रवेश करती है, वह सीधे स्वर्ग जाती है। इस काल में देवदासी और वेश्यावृत्ति का भी चलन था।

6. मध्ययुगीन भारत में महिला शिक्षा की दशा– मध्ययुगीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना मुसलमानों का भारत पर आक्रमण और विजय है। सन् 1200ई0 से 1757ई0 तक के मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस समय तक हिन्दू समाज में जाति–व्यवस्था ने भी अपने पैर पसार लिए थे, जिससे महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गयी थी। ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में नियमों को और भी कठोर बना दिया था। महिला शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और पर्दा–प्रथा सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दी गयी थी। अब सती प्रथा अपने चरम पर पहुँच गयी थी। इस काल में महिलाओं की आज़ादी छीनकर 'गृहस्थी' को ही उनकी समस्त गतिविधियों का केन्द्र बना दिया गया था। इस प्रकार महिलाएं पति की दासी और उपभोग करने की एक वस्तु मात्र बनकर रह गयी थीं।

इन सारे प्रतिबन्धों के बावजूद समाज में माता को आदर का स्थान प्राप्त था। उस काल में कुछ महिलाओं ने विद्वता एवं शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया था। विश्व प्रकाश गुप्त एवं मोहिनी गुप्त ने लिखा है कि ''हुमायूँ की बहन गुलबदन बेगम ने 'हुमायूँनामा' नाम से हुमायूँ की जीवनी लिखी थी। शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा कवयित्री थी। सलीमा बेगम, नूरजहाँ और ज़ेबुन्निसा ने श्रेष्ठ काव्य रचना की थी। मीराबाई ने हिन्दी में काव्य रचना कर नाम कमाया था।''[8]

6. ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा की दशा– भारत में ब्रिटिश काल 1757ई0 से 1947 ई0 तक माना जाता है। महिलाओं को शिक्षा देने और उनके लिए अलग से विद्यालय खोलने का विचार सर्वप्रथम 1819ई0 में मिशनरियों को आया था और उन्होंने इस दिशा की ओर क़दम उठाए तथा कन्या विद्यालय खोले। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं की शैक्षिक व सामाजिक दशा

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सुधारने हेतु अनेक प्रयास हुए तथा इस हेतु कई क़ानून बनाए गए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1854ई0), सती प्रथा निषेध क़ानून (1859ई0) आदि इनमें प्रमुख थे।

कुछ रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद महिला शिक्षा ने देश में ज़ोर पकड़ा। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबाफुले जैसे महान् समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा के महत्व पर ज़ोर डाला। महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रयासों एवं ब्रिटिश सरकार के सहयोग से पुणे (महाराष्ट्र) में कन्याओं हेतु पाठशाला प्रारम्भ की गई। महिला शिक्षा की दिशा में यह पहला क्रान्तिकारी क़दम था। इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले को देश की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। इन दोनों पति–पत्नी के प्रयास से धीरे–धीरे कई कन्या पाठशालाएं खुलीं।

स्वामी विवेकानन्द महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि महिलाओं में इतनी शक्ति हो कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। उन्हीं के शब्दों में ''कुमारियों को धर्म परायण व नीति परायण बनना पड़ेगा जिससे भविष्य में अच्छी गृहणियाँ हों। इन कन्याओं से जो सन्तान उत्पन्न होगी वह इन विषयों में और भी उन्नति कर सकेगी। जिनकी माताएं शिक्षित और नीति परायण हैं उनके घर में बड़े लोग जन्म लेते हैं।''[9] स्वामी विवेकानन्द का विचार था कि सर्वसाधारण में महिला शिक्षा का प्रचार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नहीं है। वह महिलाओं की उच्च शिक्षा के भी समर्थक थे क्योंकि प्राचीन काल में महिलाओं की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध था। स्वामी विवेकानन्द महिलाओं की शिक्षा के लिए बनाए जाने वाले पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं जीवनोपयोगी तथा समाजोपयोगी विषय सम्मिलित किए जाने के पक्ष में थे। इस काल में एनी बेसेंट, शारदा बेन मेहता, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी देवी, अबू बेकम आदि महिलाओं ने महिलाओं की सामाजिक एवं शैक्षणिक दशा को सुधारने में महत्वूर्ण भूमिका निभाई।

स्वतन्त्रता के पश्चात् महिला शिक्षा की दशा– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 16, 17, 21(क), 23, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46 आदि में महिलाओं को विभिन्न रूपों में संरक्षण प्रदान किया गया है। 1958ई0 में भारत सरकार ने महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित की, जिसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। फलस्वरूप महिला शिक्षा का महत्व समझते हुए आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा, प्रजनन एवं स्वास्थ्य आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। 1971ई0 में भारतीय समाज में महिलाओं की दशा के अध्ययन हेतु भारत सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई जिसने 1975ई0 में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक क्षेत्र तथा सामाजिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तथा रोज़गार के संगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। इससे भारत में महिला शिक्षा की महत्ता को समझते हुए सरकारी स्तर पर नीति निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गयी और इस दिशा में प्रयासों को बढ़ाने पर बल दिया गया।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में महिला साक्षरता की दर बढ़ी है। 1951ई0 में देश की कुल जनसंख्या की 8.86 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित थीं, जबकि 2011 ई0 की जनगणना के अनुसार 65.46 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। आज महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की सफलता अलग से रेखांकित करने योग्य है। राजनीति, समाजसेवा, विज्ञान, कला, संगीत आदि क्षेत्रों में कुछ महिलाओं ने शिक्षा के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, शोभना नारायण, सुधा चन्द्रन, लता मंगेशकर, ऐश्वर्या राय, अरुंधती राय आदि महिलाओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी महिलाओं को किसी भी तरह से पुरुषों से कमतर नहीं मानते थे। वे कहते थे कि ''स्त्री तो एक मूर्तिमान बलिदान है। जब वह सच्ची भावना से किसी काम का बीड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है।''[10]

महिला शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ– भारत में महिला शिक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं–

1. आर्थिक समस्याएँ– अधिकांश परिवार आर्थिक समस्याओं के कारण बालिकाओं को नहीं पढ़ाते। कार्ल मार्क्स एवं एंगिल्स ने भी स्वीकार किया है कि ''स्त्रियों का उद्धार और उनकी पुरुषों से समानता तब तक असम्भव है, जब तक कि उन्हें समाज के उत्पादकीय कार्यों से वंचित करके घरेलू कामों तक सीमित रखा जाता है।''[11] वास्तव में आर्थिक आत्मनिर्भरता किसी भी देश के विकास की अवस्था के सूचक के रूप में मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जब वे शिक्षित बनें।

2. समाज की कुछ ग़लत मान्यताएँ– समाज की कुछ जातियों जैसे– आदिवासियों और अत्यन्त पिछड़े जातीय समूहों में महिलाओं का स्थान नीचा माना जाता है। इसी कारण उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार भारत में कई स्थानों पर दलित, पिछड़े तथा समाज के वंचित वर्गों के लोगों की शिक्षा में कुछ उच्च जातीय समूहों द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे– परीक्षाओं में कम अंक देना, पढ़ाई से हतोत्साहित करना आदि। यह भेदभाव उच्च शिक्षा स्तर पर भी जारी है। इससे इन कमज़ोर वर्गों के सदस्यों विशेषकर महिलाओं की शिक्षा बाधित हो जाती है। भारतीय समाज में यह धारणा है कि यदि लड़कियों को अधिक पढ़ाया जाए तो उनके लिए समान शिक्षित तथा योग्य वर ढूँढ़ने में अधिक दहेज देना होगा। इस कारण लोग बालिकाओं को अधिक पढ़ाना नहीं चाहते।

3. बंधुआ मज़दूरी प्रथा–बंधुआ मज़दूरी प्रथा आज भी देश के कई भागों में जीवित है। ऐसे परिवारों की बालिकाएं परिवार के साथ मज़दूरी करती हैं, जिससे वह पढ़ नहीं पातीं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

4. विद्यालयों की कमी– ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में अधिकांश माध्यमिक विद्यालय कई कि0मी0 दूरी पर स्थित होते हैं और महाविद्यालय अत्यन्त न्यून हैं। ऐसे में कई बालिकाएं प्राथमिक या उच्च प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय दूर होने के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं।

5. कम आयु में विवाह होना– बालिकाओं की कम आयु में विवाह होने से पढ़ाई के अवसर कम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गृहस्थी पर ध्यान लगाने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

6. लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता– भारत में लड़कों की शिक्षा को लड़कियों की शिक्षा पर प्राथमिकता दी जाती है। सामान्यतः लड़कियों की शिक्षा 8वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बन्द कर दी जाती है और लड़कों को उच्च शिक्षा तथा रोज़गार प्राप्ति हेतु बढ़ावा दिया जाता है।

7. छेड़–छाड़, उत्पीड़न आदि का भय– समाज एवं विद्यालय में होने वाली छेड़छाड़, उत्पीड़न, रैगिंग आदि घटनाओं के भय से कई अभिभावक बालिकाओं को दूर पढ़ने नहीं भेजते या विद्यालय ही नहीं भेजते। उच्च शिक्षा में बालिकाओं की नामांकन दर कम होने का यह एक बड़ा कारण है।

8. ख़र्चीली शिक्षा व्यवस्था–शिक्षा के निजीकरण ने इसे ख़र्चीला बना दिया है। निजी विद्यालय शिक्षा के नाम पर अभिभावकों को लूटते हैं। इस कारण लोग बालिकाओं को नहीं पढ़ाना चाहते हैं।

महिलाओं की शैक्षणिक दशा में सुधार के उपाय– महिला शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास करने से महिलाओं की शैक्षणिक दशा में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है–

1. समाज के कमज़ोर वर्ग की छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए– आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा समाज के वंचित वर्गों की प्रतिभाशाली छात्राओं को अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। यह बालिका शिक्षा को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।

2. माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाए– देश भर में माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। घर से कम दूरी पर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों की उपलब्धता होने से दूरी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में कमी आएगी।

3. कन्या माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की जाए– देश भर में कन्या माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए तथा उनमें मूलभूत सुविधाओं जैसे– शौचालय, गर्ल्स कॉमन रूम, पेयजल, बिजली, बालिका छात्रावास आदि की व्यवस्था की जाए।

4. महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति– सह–शिक्षा विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे बालिकाएं सहज होकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी, साथ ही महिला शिक्षकों से प्रेरित भी होंगी।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

5. छेड़–छाड़, शोषण, रैगिंग आदि को रोकने के लिए प्रभावी क़ानून बनाया जाए– शैक्षणिक संस्थाओं में शोषण की घटनाओं, छेड़–छाड़, रैगिंग आदि को रोकने हेतु प्रभावी क़ानून बनाकर उनका पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित कराया जाए। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 'महिला शिकायत प्रकोष्ठ' का गठन किया जाए तथा एक महिला शिक्षिका को इसका प्रभारी नियुक्त किया जाए। इससे छात्राओं को भयमुक्त वातावरण मिलेगा।

6. बालिकाओं को कम ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाए– बालिकाओं को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षाविद् डॉ0 डी0 शंकर नारायण का सुझाव है कि ''महिला शिक्षा की व्यवस्था करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से महिला शिक्षा को इतना प्रभावी बनाया जाए कि वे आधुनिक व्यवसायी व तकनीकी कुशलता का विकास कर विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित लोकतान्त्रिक एवं समानतामूलक समाज के निर्माण में अपना समुचित योगदान दे सकें।''[12]

7. कम आयु में विवाह रोकने हेतु प्रयास किए जाएं– समाज में कम शिक्षित वर्गो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के कम आयु में विवाह रोकने हेतु प्रयास किए जाएं। इसके विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है क्योंकि यह बालिकाओं की उच्च शिक्षा में बाधक है।

8. दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देना– कामकाजी महिलाओं, गृहणियों, वंचित वर्गों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रही महिलाओं की शिक्षा हेतु दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। इससे महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

9. बालिका शिक्षा परामर्श केन्द्र खोले जाएं– गाँवों एवं अल्प शिक्षित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय समूहों और कबीलों के माता–पिताओं को बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने हेतु परामर्श देने के लिए परामर्श केन्द्र खोले जाएं। यह बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण क़दम होगा।

10. ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में उपयुक्त परिवहन व्यवस्था की जाए– देश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय तक पहुँचने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को कई कि0मी0 पैदल चलकर स्कूल जाना होता है। उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

11. शुल्क में छूट प्रदान करना– बालिकाओं को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि में छूट प्रदान करने से उनका रुझान निःसन्देह पढ़ाई के प्रति बढ़ेगा।

12. नियामक निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए– शिक्षण संस्थाओं के नियामक निकायों, प्रबन्ध समितियों तथा सरकारी संगठनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है जिससे महिलाओं की शैक्षणिक तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर उचित एवं तर्क संगत निर्णय लिए

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जा सकें। डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव ने लिखा है कि ''समाज में अन्तिम स्त्री वर्ग के हेतु जब तक पूरी तरह से शिक्षा का प्रचार–प्रसार नहीं होगा, तब तक महिला सशक्तिकरण एवं महिला स्वावलम्बन के सारे उपक्रम निरर्थक सिद्ध होंगे।''[13]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि उपरोक्त उपायों को ईमानदारी से लागू किया जाए तो भारत में महिला शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है तथा महिलाओं को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। समुचित शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जब जन जागरूकता बढ़ेगी तभी महिला सशक्तिकरण को नवीन आयाम प्राप्त होंगे। हमारा राष्ट्र भी तभी सच्चे अर्थों में सशक्त होगा। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा की दशा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भी महिला शिक्षा के उत्थान हेतु क्रमिक प्रयास किए गए। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, कन्या नामांकन तथा ठहराव में वृद्धि के प्रयास, आँगनवाड़ी एवं बालवाणी के सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि ऐसे कई महत्वपूर्ण उपाय व योजनाएं थीं, जिनके समवेत प्रयास से आज महिला शिक्षा का परिदृश्य बदला है। रोज़गार के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता इन्हीं प्रयासों के परिणाम हैं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 4, April 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सन्दर्भ–ग्रन्थ–

1. संपादक डॉ0 पी0के0 वार्ष्णेय, डॉ0 बी0 तबस्सुम–Creating a Unified Foundation for the Sustainable Development "Educatin and Empowerment"–पृ0 458– राजकीय रज़ा पी0जी0 कॉलेज, रामपुर (उ0प्र0)– संस्करण 2019ई0।
2. वही, पृ0 458।
3. विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्त– स्वतन्त्रता संग्राम और महिलाएं– पृ0 4– नमन प्रकाशन, नई दिल्ली– संस्करण 2008 ई0।
4. वही, पृ0 4–5।
5. वही, पृ0 5।
6. वही, पृ0 5।
7. वही, पृ0 7।
8. वही, पृ0 10।
9. वही, पृ0 17।
10. डॉ0 सूरज मृदुल– भारतीय नारियाँ– पृ0 27– यश पब्लिकेशन्स, दिल्ली– संस्करण 2013ई0।
11. डॉ0 निशान्त सिंह– महिला राजनीति और आरक्षण– पृ0 164– ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली– संस्करण 2010ई0।
12. वही पृ0 167।
13. डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव (संपा0)– इक्कीसवीं सदी का महिला सशक्तिकरण : मिथक एवं यथार्थ – पृ0–49 ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली– संस्करण 2010ई0।